

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, क्ल 6-7, जाया वीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

आज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर  
व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

गुरनायब सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जिरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 13/2022

निर्णय दिनांक :- 10.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई स्वयं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री  
दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,  
136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 32 एच की  
जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 4/4 व चक 32 एच ए की जमाबन्दी सम्वत 2073  
ता 76 के खाता संख्या 12/12 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाम गुरनेब सिंह पुत्र भाग सिंह के  
स्थान पर गुरनेब सिंह उर्फ गुरनायब सिंह पुत्र भाग सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।  
इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 10.03.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की  
मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री कल्याणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	श्री कल्याणपुर	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 10.03.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/121

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार  
पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्री कल्याणपुर